

31/05/98
आवश्यक
आज्ञा

17

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:- ए. सी. आर/परिपत्र/95-96/ 7-58-855 दिनांक:- 22-5-98

प्रेषक :-

निदेशक एवं महानिरीक्षक,
कारागार राज0, जयपुर ।

प्रेषित:-

समास्त अधीक्षक, उपाधीक्षक, एवं
प्रभाराधिकारी,
केन्द्रीय/जिला/उपकारागृह, एवं
प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।

विषय:- वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 97-98 प्रेषित करने बाबत निर्देश।
प्रसंग :- इस कार्यालय को परिपत्र क्रमांक: ए. सी. आर/परिपत्र/95-96/
75-177 दिनांक 29.1.98.

-000-

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के अनुक्रम में लेख हैं कि मण्डलाधिकारियों से सभी कारागृहों को नये पुपत्र प्राप्त हो गये होंगे । नये पुपत्र को वर्ष 1997-98 § 1.4.97 से 31.3.98§ से उपयोग में लिया जाना है ।

वर्ष 1997-98 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सही प्रकार से तैयार किये जाने बाबत आवश्यक निर्देश जो परिशिष्ट "ए" में अंकित हैं, को इस पत्र के संलग्न कर आपको भिजवाये जा रहे हैं । अतः आप निर्देशों की पालना में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ताकि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सही प्रकार से एवं समय पर प्रेषित हो सके ।

पत्र प्राप्त की रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवायें ।

भवदीय

35

§ अरुण दुग्ड़ §

निदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राज0, जयपुर.

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को परिशिष्ट § ए § संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, विधि एवं विधिक, विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राज0, जयपुर ।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।

- निश्चिन्तार-2 -

4. ~~वरिष्ठ~~
5. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कारागार राज0, जयपुर ।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक निदेशक ~~पी. एण्ड एम.~~ ~~उपाधीक्षक~~
~~भण्डार~~, उपाधीक्षक ~~प्रशिक्षण एवं अवकाश आरक्षित~~, सहायक विधि
परामर्शी/सहायक लेखाधिकारी/महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।
8. ~~वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक एवं महानिरीक्षक राज0, जयपुर~~
9. कार्यालय अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।

31 2/15

निदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राज0, जयपुर.

[Signature]

1. 95-96/710-85
दिनांक - 22-5-98

क्र.सं.	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकारकर्ता अधिकारी	रिपोर्ट आ.सं.
1	2	3	4	5
<u>महा निदेशालय कारागार</u>				
1. निरीक्षक उपकारागृह कारापाल	उपाधीक्षक प्रशिक्षण एवं अवकाश आरक्षित उपाधीक्षक भण्डार	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	महा निदेशालय कारागार.
2. मुख्य शस्त्रविद्वान् चीफ आर्मास्टर				
3. सहायक कारापाल			महानिरीक्षक/निदेशक	
4. मुख्य प्रहरी				
5. प्रहरी				
5.ए. प्रहरी/वाहनचालक				
6. वाहन चालक				
7. शिक्षा अध्यापक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक/निदेशक	महानिरीक्षक/निदेशक	निदेशक	
8. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक	महानिरीक्षक	निदेशक		
9. निजी सहायक महानिरीक्षक				
10. शीघ्र लिपिक	उपमहानिरीक्षक	महानिरीक्षक	निदेशक	
11. शीघ्र लिपिक वरिष्ठ लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	महानिरीक्षक	निदेशक	
12. सांख्यिकी सहायक	सहायक निदेशक सांख्यिकी पी.एण्ड.एम.	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	अधिकार सांख्यिकी निदेशालय राजीव, जयपुर
13. संगणक				

1	2	3	4	5	6
14. लेखाकार	सहायक लेखाधिकारी	वरिष्ठ लेखाधिकारी	महानिरीक्षक/निदेशक	निदेशक, कोष एवं लेखा	राजस्थान, जयपुर
15. कनिष्ठ लेखाकार	-	-	-	-	-
16. कार्यालय अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	निदेशक	महानिदेशालय कारागार	
17. कार्यालय सहायक	-	-	-	-	-
18. वरिष्ठ लिपिक	शाखा प्रभारी/उपमहानिरीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	-	-
19. कनिष्ठ लिपिक	-	-	-	-	-
<u>केन्द्रीय कारागृह</u>					
1. कारापाल/महिला कारापाल अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	-	-	-
2. उप कारापाल	-	-	-	-	-
3. सहायक कारापाल	-	-	-	-	-
4. महा मुख्य प्रहरी	-	-	-	-	-
5. मुख्य प्रहरी/महिला-मुख्य प्रहरी	उपाधीक्षक	अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	-	-
6. प्रहरी/आरक्षक/महिला-प्रहरी	कारापाल	उपाधीक्षक	अधीक्षक	केन्द्रीय कारागृह	
7. सहायक उ गेताला पथिक	अधीक्षक	अधीक्षक कारागार उ गेताला उपमहानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	-	-

क्र.सं.	पद	उपाधीक्षक / अधीक्षक	अधीक्षक/अधीक्षक कारागार, उद्योग	उपमहानिरीक्षक/ महानिरीक्षक	महानिदेशालय कारागार
8.	कारपेन्टर/टेलर/झायर ब्लेक स्मिथ/मास्टर				
9.	व्यवसायिक अध्यापक				
10.	कम्पाउन्डर/नर्स/दाई मेल नर्स/फिमेल नर्स	चिकित्साधिकारी	अधीक्षक	सी.एम.एण्ड.एच.ओ. सी.एम.एण्ड.एच.ओ.	
11.	सहायक अध्यापक/बन्दी अध्यापक/शिक्षा अध्यापक सहायक अध्यापक महिला.	अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/ महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	महानिदेशालय कारागार
12.	कार्यालय सहायक	अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/ महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	

13. वरिष्ठ लिपिक

14. कनिष्ठ लिपिक

15. वाहन चालक

16. विधि सहायक

17. कनिष्ठ लेखाकार

कारागार प्रशिक्षण संस्थान:-

1. प्रशिक्षक ग्रेड-11

2. व्यायाक शिक्षक

3. मुख्य प्रहरी

4. प्रहरी/आरमरर

प्राचार्य

प्रशिक्षक ग्रेड-11

महानिरीक्षक

प्राचार्य

व्याख्याता

निदेशक

उपमहानिरीक्षक/
महानिरीक्षक

प्राचार्य

महानिदेशालय कारागार

कारागार प्रशिक्षण संस्थान

-निरन्तर-4-

विधि विभाग
निदेशक का. र. व. लेखारज0, जयपुर

78

5.	कनिष्ठ लेखाकार	प्राचार्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी	महानिरीक्षक/निदेशक	निदेशक, कोष एवं लेखा जयपुर.
6.	वरिष्ठ लिपिक कम लाइब्रेरियन.	--- ***	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	---	महानिदेशालय कारागार
7.	वरिष्ठ लिपिक	---	---	---	---
8.	कनिष्ठ लिपिक	---	---	---	---
9.	वाहन चालक	---	---	---	---

जिला कारागृह, "ए" ब्रेणी :-

1.	कारापाल	अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	महानिदेशालय कारागार
2.	उप कारापाल	---	---	---	---
3.	सहायक कारापाल	---	---	---	---
4.	महा मुख्य प्रहरी	---	---	---	---
5.	मुख्य प्रहरी	कारापाल	अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक.	---
6.	प्रहरी	---	---	मण्डलाधिकारी	जिला कारागृह
7.	वरिष्ठ लिपिक	अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	महानिदेशालय कारागार
8.	कनिष्ठ लिपिक	---	---	---	---
9.	बन्दी अध्यापक	---	---	---	---
10.	वाहन चालक	---	---	---	---
11.	सहायक उद्योगकर्ता	---	अधीक्षक, कारागार	---	---
12.	एडमिशन/टेलर/डायर	---	उद्योग/उप-महानिरीक्षक	---	---
13.	कारपेन्टर/चर्म प्रशिक्षक.	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
12.	कनिष्ठ लेखकार	अधीक्षक	वरिष्ठ लेखाधिकारी	महानिरीक्षक/निदेशक	निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर.
13.	कम्पाउन्डर	चिकित्साधिकारी	अधीक्षक	सी.एस.एण्ड एच.ओ.	सी.एस.एण्ड एच.ओ.
14.	कृषि सहायक	अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	महानिदेशालय कारागार

जिला कारागृह, "बी" श्रेणी :-

1.	कारापाल	उप-अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	महानिदेशालय कारागार
2.	उप-कारापाल	"-	"-	"-	"-
3.	सहायक कारापाल	"-	"-	"-	"-
4.	मुख्य प्रहरी	कारापाल	उपाधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	"-
5.	प्रहरी	"-	"-	मण्डलाधिकारी	जिला कारागृह.
6.	वरिष्ठ लिपिक	उप-अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	महानिदेशालय कारागार
7.	कनिष्ठ लिपिक	"-	"-	"-	"-
8.	वाहन चालक	"-	"-	"-	"-
9.	कम्पाउन्डर	चिकित्साधिकारी	अधीक्षक	सी.एस.एण्ड एच.ओ.	सी.एस.एण्ड एच.ओ.

उप कारागृह :-

1.	उप कारापाल	उप-अधीक्षक/अधीक्षक	उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक	महानिरीक्षक/निदेशक	महानिदेशालय कारागार
2.	सहायक कारापाल	जिला कारागृह/केंद्रीय कारागृह	"-	"-	"-

1	2	3	4	5	6
3.	मुख्य प्रहरी	उपकारापाल/ सहायक कारापाल	उपाधीक्षक/ अधीक्षक जिला कारागृह/ केन्द्रीय कारागृह.	उपमहानिरीक्षक/ महानिरीक्षक मण्डलाधिकारी	महानिदेशालय कारागार जिला कारागृह.
4.	प्रहरी	-	-	उपमहानिरीक्षक/ महानिरीक्षक	महानिदेशालय कारागार
5.	वाहन चालक	-	-	-	-

- नोट :- 1. उक्त व्यवस्था वित्तीय वर्ष 97-98 से लागू की जावेगी ।
2. वित्तीय वर्ष 96-97 तक के बकक्या प्रतिवेदनों की पूर्ति नये प्रपत्रों में न की जाकर पूर्व में प्रचलित प्रपत्रों में की जावेगी ।
3. जहां कहीं भी प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं त्वीकार करने वाले अधिकारी की टिप्पणी हेतु दो अधिकारियों को दर्शाया गया है, वहां प्रथम टिप्पणी पहले दर्शाये गये अधिकारी के द्वारा की जावेगी । यदि किसी वजह से प्रथम अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त करना संभव नहीं हो सके तो दूसरे अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त की जावेगी ।
4. वित्तीय वर्ष 97-98 से संबंधित किंती अधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की पूर्ति इस परिपत्र के जारी होने से पूर्व ही कर ली गई हो तो, वह मान्य होगी ।

निदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राज0, जयपुर.